न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/218

राधेश्याम वल्द धन्ना लाल जाति मीणा आयु 55 साल निवासी ग्राम चौसला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. मंगलम सीमेंट लिमिटेड आदित्य नगर मोडक तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा जरिये प्रबन्धक आदित्य नगर मोडक, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. नानूराम आयु 55 साल वल्द श्रीराम जाति मेघवाल निवासी सोहनखेडा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री अमित खरोलीबाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 03.01.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.02.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला, कोटा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत ग्राम फतेहपुर तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर पुराना 95 की रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 165 रकबा 0.97 हैक्टर व खसरा नम्बर 166 की रकबा 1.09 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण कम 1 द्वारा तैयार किया गया स्वीकृत खनन इकरारनामा 1992 रेवेन्यू आदेश दिनांक 29.03.1996 और वादपत्र की मद नं0 01 में वर्णित आराजीयात का जमाबन्दी तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा करवाया गया नोट दिनांक 14.08.2014 अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादीगण के कब्जेशुदा आराजी पर किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत न करे और न ही

दीगण को उक्त भूमि से बेदखल करे । यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया गया हो तो उससे प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे ।

3. प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से दिनांक 24.01.2014 को अंतिम निर्णय हो चुका है जिसमें उपखण्ड अधिकारी के निर्णय की पुष्टि व रिट खारिज की गई है । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की फोटो कापी को मार्क 03 से चिन्हित किया गया है । राधेश्याम द्वारा पूर्ण रूप से क्षति पूर्ति की रकम प्राप्त करना माना है स्वयं राधेश्याम ने इस सम्बन्ध में दिनांक 30.03.1996 को अपना स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है । इस प्रकार प्रस्तुत वाद में वादी का कोई भी कारण नहीं है । अतः वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.02.2016 के द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.02.2016 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया था वह आदेश सिविल रिट पिटीशन नं0 13852/2012 में पारित किया गया जिसमें अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य जो राजीनामा आलेखित किया गया था उसको आधार मानकर सिविल रिट पिटीशन में आदेश पारित किया गया है जिसमें उन्हीं बिन्दुओं को स्वीकार किया गया जो पूर्व में दोनों पक्षों के मध्य आलेखित की गई थी व जो दावा अपीलान्ट द्वारा पेश किया गया उसमें ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पुनरावृत्ति की गई हो । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.03.1996 के निर्णय जो कि अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा के द्वारा पारित किया गया है उसे भी देखे बिना उक्त आदेश पारित किया है जबकि दोनों तथ्य में कोई समानता नहीं है । प्रस्तुत प्रकरण में उक्त वाद निस्तारण दावा एंव जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर की निर्णय एवं डिक्री पारित की जानी चाहिए थी । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.02.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में जो विवादित बिन्दु उठाए हैं वह सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजस्व अपील प्राधिकारी एवं अन्त में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से निर्णित हो चुके हैं । उक्त निर्णयों के सम्बन्ध में किसी भी प्राकर के आक्षेप करना न्यायालय की अवमानना होगा।

वादग्रस्त आराजी के 02 खातेदार हैं नानूराम व राधेश्याम । राधेश्याम एस.टी. का व्यक्ति है जबकि नानूराम एससी का व्यक्ति है । राधेश्याम मीणा की 06 बीघा भूमि प्रतिवादी कम 1 ने खनन क्षेत्र में स्थित होने से एलआर एक्टर की धारा 89 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही चलने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय दिनांक 29.03.1996 को दिया गया व उसमें आदेश दिया गया है कि भूमि का मुआवजा 8000/– रूपये प्रति बीघा से अदा करने पर खनन कार्य करने की स्वीकृति दी गई व उक्त आदेश के अन्तर्गत वादी अपीलान्ट ने 48 हाजर रूपये जरिये चैक प्राप्त किये व खनन कार्य की स्वीकृति का नोट दर्ज किया । वादी अपीलान्ट द्वारा उक्त आदेश की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में की गई जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने रिमाण्ड करके साक्ष्य दुबारा लेकर निर्णय करने के निर्देश दिये। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 5431/2010 पेश की जिसका निर्णय दिनांक 11.06.2012 को हुआ जिसमें उपखण्ड अधिकारी के निर्णय की पुष्टि की और मुआवजे की राशि वादी अपीलान्ट द्वारा प्राप्त करना प्रमाणित माना । वादी अपीलान्ट ने उक्त निर्णय की अपील माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान में की जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.01.2014 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी के निर्णय की पुष्टि व रिट खारिज की गई है । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की फोटो कापी को मार्क 03 से चिन्हित किया गया है । राधेश्याम द्वारा पूर्ण रूप से क्षति पूर्ति की रकम प्राप्त करना माना है स्वयं राधेश्याम ने इस सम्बन्ध में दिनांक 30.03.1996 को अपना स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.02.2016 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद वादकारण नहीं होने के आधार पर खारिज किया है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को नजीर आर.आर.डी. 2011 पेज 603 की रोशनी में उचित एवं विधि सम्मत नहीं मानते हैं । उक्त नजीर में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि वादकरण हेतु केवल एवं केवल वादपत्र एवं उसके संलग्न दस्तावेजों पर ही विचार किया जाना चाहिए । आर.आर.डी. 2011 पेज 603 का हैड नोट इस प्रकार से है :– "Code of Civil procedure, Order 07 Rule 11 – Scope of Application filed by the petitioner-defendants under Order 7, Rule 11 CPC was finally rejected by the Board upholding the decision of R.A.A. – Held, at the stage when application under Order 7, Rule 11 was filed by petitioner-defendant it has to be examined by the trial court whether the court has jurisdiction to examine the case based on facts mentioned in the plaint itself-Nofurther supporting material is required to be looked into....." अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजों पर विचार कर निर्णय करने में त्रुटि की है।

10. प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में जिन तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया था वह अनिर्णित ही हैं और केवल प्रार्थना पत्र के आधार पर वाद के तथ्यों का निर्णय विधि सम्मत नहीं हो सकता । प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट ने धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था जो पक्षकारों की साक्ष्य के बिना निर्णय पारित नहीं किया जा सकता ।

प्रकरण में पक्षकारान के मध्य जो विवाद है उस पर पक्षकारान की साक्ष्य एवं दस्तावेज लिये बिना किसी प्रकार के निर्णय तक नहीं पहुंचा जा सकता क्योंकि वादीगण ने वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया है । जिसका निर्धारण गुणावगुण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में ही हो सकता है । अपीलीय न्यायालय को इस सम्बन्ध में इस स्तर पर ज्यादा विवेचन किया जाना उचित नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण एवं विधि–विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 12.02.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिवादीगण को जवाबदावा पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 12.02.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 03.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा